राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

आरएफपी संदर्भ संख्या: एमआरओ/एमआरओ/डाक/2024/00176

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक में मौजूदा इकाइयों का विघटन और पुनःक्रय करने तथा सिविल, बढ़ईगीरी, विद्युत कार्य सहित सभी सहायक उपकरणों के साथ एयर कूल्ड डक्टेबल पैकेज्ड एयर कंडीशनर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और परिचालन का क्रय यदि कोई आवश्यक हो तो परिसर में स्थापित संपूर्ण डक्टिंग की रोबो वैक्यूम सफाई के लिए

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

कार्यालय प्रभारी,

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय,

राष्ट्रीय आवास बैंक,

तीसरी मंजिल, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग,

45, वीर नरीमन रोड,

मुंबई – 400 001

ई-मेल: romum@nhb.org.in

1. **महत्वपूर्ण बोली विवरण**		
1.	बोली आरंभ होने की तिथि	जेम के अनुसार
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक*	01 अक्टूबर 2024 को 15:00 बजे
3.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय	जेम के अनुसार
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय#	जेम के अनुसार
5.	आरएफपी की लागत	शून्य आरएफपी जेम पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है
6.	बोली खोलने का स्थान (यदि विडियो कॉल के माध्यम से आयोजित किया जाता है तो बैठक का लिंक बोलीदाताओं को ईमेल पर सूचित किया जाएगा)	जेम पोर्टल पर ऑनलाइन

**बैठक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।*

 # बोलियां उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो उपर्युक्त के अनुसार भाग लेने का विकल्प चुनते हैं। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। ऑनलाइन तकनीकी बोली खोलने के लिए बैठक लिंक रा.आ.बैंक द्वारा प्रतिभागी बोलीदाताओं के साथ अग्रिम रूप से ईमेल के माध्यम से साझा किया जाएगा या बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

नोट:

- इच्छुक बोलीदाता इस आरएफपी के खंड 3.1 के अनुसार ईमेल/डाक पर बोली-पूर्व प्रश्न भेज सकते हैं।
- किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल के माध्यम से या वेबसाइट प्रकाशन के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी प्रमाण/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डेटा/जानकारी, रिपोर्ट की जानी चाहिए और इसे इस आरएफपी के प्रकाशन की तिथि के अनुसार माना जाएगा।
- **बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय बोली (अनुलग्नक XII के अनुसार) केवल वित्तीय बोली श्रेणी के अंतर्गत जेम पर अलग से प्रस्तुत की जाए तथा तकनीकी बोली दस्तावेजों में बोली मूल्य का खुलासा न किया जाए।**

शब्द संग्रह

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है।

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- अधिनियम के तहत प्राप्त पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, रायपुर, भुवनेश्वर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) रांची, तिरुवनंतपुरम और विजाग/विजयवाड़ा में प्रस्तावित हैं।

रा.आ.बैंक के उपस्थिति स्थान की अधिक जानकारी और संपर्क विवरण के लिए, बोलीदाता बैंक की वेबसाइट https://nhb.org.in/en/ पर जा सकते हैं।

3. बोलीदाताओं को निर्देश

सामान्य निर्देश

- ➢ विकास, तैयारी, एवं प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो एवं रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- ➢ बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अतिरिक्त, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी विधिक संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।

- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा और स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक पात्र बोलीदाता को सूचीबद्ध करने/चयन करने के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेज़ में विनिर्दिष्ट चयन मानदंडों को अपने पूर्ण विवेक से लागू कर सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करते ही यह सुनिश्चित करता है, उसे आरएफपी और अस्वीकरण की शर्तों स्वीकार है।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

सोनाली सोनावणे क्षेत्रीय प्रबंध कर्ता ईमेल : sonali.sonawane@nhb.org.in टेलीफोन**: 011-3918 7423**	**चेतन टी. खरबीकर** सहायक प्रबंधक ईमेल: chetan.kharbikar@gmail.com टेलीफोन : 011-3918 7336

- • राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) बोलियां जमा करने की समय सीमा से पूर्व ऊपर दिये गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते है।
- **बोलीदाता को भारत में किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/भा.रि.बैंक द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।**
- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।
- न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली बोलियां आगे मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी और इसके बाद न्यूनतम पात्रता मानदंड और तकनीकी मूल्यांकन दोनों को पूरा करने वाली बोलियां वित्तीय मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी।
- बोलीदाता (इस आरएफपी में बोलीदाता के रूप में संदर्भित) प्रस्तुत बोली के लिए जिम्मेदार है और प्रस्तुत किए जाने वाले समाधान/सेवाओं के लिए किसी संघ की अनुमति नहीं है।

3.1 बोली-पूर्व बैठक

- इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेह के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से, रा.आ.बैंक आरएफपी में दर्शाई गई तिथि और समय पर एक ऑनलाइन पूर्व-बोली बैठक आयोजित करेगी। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न, लिखित रूप में, ईमेल / डाक पते पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पूर्व बोली बैठक की तारीख से न्यूनतम *2* दिन पहले ई-मेल या डाक द्वारा पहुंचना

चाहिए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी बोलीदाता के किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा, जो पूर्व-बोली बैठक के बाद प्राप्त होते हैं।

- बोली पूर्व प्रश्नों को निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:

क्र.सं.	आरएफपी का प्रासंगिक खंड	प्रश्न

- इच्छुक बोलीदाता निम्नलिखित आईडी और पासवर्ड के माध्यम से निर्धारित पूर्व-बोली बैठक में ऑनलाइन भाग ले सकते हैं:

Microsoft Teams

Meeting ID: 437 579 333 530

Passcode: PevvwZ

Join on a video conferencing device

Tenant key: 423801606@t.plcm.vc

Video ID: 137 582 007 5

3.2 निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी जेम पोर्टल https://gem.gov.in/ पर उपलब्ध कराई गई है।

बोली दस्तावेज एनएचबी की वेबसाइट https://nhb.org.in/en/ पर उपलब्ध कराया गया है।

3.3 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

3.4 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी स्थिति में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। "ठीक", "स्वीकृत", "विख्यात", जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.5 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
- संशोधन जेम पोर्टल के साथ-साथ रा.आ.बैंक की वेबसाइट https://nhb.org.in/en/ पर भी डाली जाएगी।
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ.बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त रा.आ.बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.6 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अतिरिक्त बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

3.7 गुप्त वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता द्वारा वास्तविक कीमतों को छिपाकर वास्तविक मूल्य बोली (रा.आ.बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) की एक प्रति रा.आ.बैंक को अलग से प्रस्तुत की जानी है। **यह अनिवार्य है।** यदि यह ठीक से छिपाकर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो बोली को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। रा.आ.बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय बोली/निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि 'गुप्त वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य को छोड़कर) प्रस्तुत वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से मेल नहीं खाता है।

3.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

3.10 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी।

वित्तीय/वाणिज्यिक बोली

अस्वीकरण: बोलीदाता को उपयुक्त प्रारूप में तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली को अलग से अपलोड करना होगा।

बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय बोली (अनुलग्नक XII के अनुसार) केवल वित्तीय बोली श्रेणी के अंतर्गत जेम पर अलग से प्रस्तुत की जाए तथा तकनीकी बोली दस्तावेजों में बोली मूल्य का खुलासा न किया जाए।

1. कार्य क्षेत्र

इस आरएफपी को जारी करने का उद्देश्य सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से सभी सहायक उपकरणों (न्यूनतम 7.5 टीआर में से प्रत्येक 4 इकाइयाँ) के साथ **जेम बोली दस्तावेज** में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार मौजूदा इकाइयों का विघटन और पुण: क्रयित करने सहित परिसर में स्थापित संपूर्ण डक्ट सिस्टम की रोबो वैक्यूम सफाई; एयर कूल्ड डक्टेबल पैकेज्ड एयर कंडीशनर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और परिचालन के लिए वाणिज्यिक बोलियां आमंत्रित करना है।

2. मूल्यांकन मानदंड

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

3. जीईएम पर सबसे कम बोली लगाने वाला उद्धरण:

सबसे कम बोली लगाने वाला (एल1) नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार आएगा - : (जेड)

जेड = (1) के लिए कुल लागत (जीएसटी और अन्य करों एवं शुल्कों सहित) {ए} + नई इकाइयों के लिए एएमसी शुल्क (2) (सभी लागू करों सहित) {बी} - कुल विघटन और प्रतिक्रय लागत (3) (जीएसटी को छोड़कर) {सी}

अर्थात (जेड) = ए + बी – सी

4. सुपुर्दगी

सफल बोलीदाताओं को निम्नलिखित कार्यों/गतिविधियों को करने की आवश्यकता होगी:

a) सभी सहायक उपकरणों सहित एयर कूल्ड डक्टेबल पैकेज्ड एयर कंडीशनर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशन और परिचालन भी परिसर में स्थापित संपूर्ण डक्टिंग की रोबो वैक्यूम सफाई; दूसरे, तीसरेऔर चौथे वर्ष के लिए एएमसी शुल्क; पुरानी इकाइयों का विघटन और पुनःक्रय; **जेम बोली दस्तावेज** में बताए अनुसार सभी मलबे को हटाना।

b) निम्नलिखित स्थान पर स्थित मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में वस्तुओं को वितरित और कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए:

राष्ट्रीय आवास बैंक,
मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय,
तीसरी मंजिल बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग,
45, वीर नरीमन रोड, मुंबई-400 001

वर्तमान में, रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ और भोपाल, जयपुर, रायपुर, पटना, चंडीगढ़, भुवनेश्वर में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

सुपुर्दगी मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में होगी और मात्रा का उल्लेख बीओक्यू में किया जाएगा।

5. मूल्य संरचना और भिन्नता

सभी सहायक उपकरणों सहित एयर कूल्ड डक्टेबल पैकेज्ड एयर कंडीशनर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और संचालन के लिए उद्धृत मूल्य, परिसर में स्थापित संपूर्ण डक्टिंग की रोबो वैक्यूम सफाई; दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के लिए एएमसी शुल्क; पुरानी इकाइयों का विघटन और पुनःक्रय; जेम बोली दस्तावेज और विनिर्देश दस्तावेज में दर्शाए गए सभी मलबे को हटाना, प्रारंभिक क्रय आदेश जारी करने की तिथि से 90 दिनों (तीन महीने) के लिए वैध रहेगा।

6. कार्यनिष्पादन गारंटी

सफल बोलीदाता को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में कुल अनुबंध मूल्य के 3% की राशि के प्रदर्शन बैंक गारंटी/पीबीजी मूल्य प्रदान करना होगा। पीबीजी वारंटी अवधि की समाप्ति के कम से कम तीन महीने बाद तक या रा.आ.बैंक द्वारा तय की गई ऐसी अन्य विस्तारित अवधि तक वैध होनी चाहिए। पीबीजी को सफल बोलीदाता द्वारा श्रम विधि और किसी अन्य विधि/नियमों/विनियमों सहित लागू वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने सहित आरएफपी शर्तों में गैर-प्रदर्शन या डिफ़ॉल्ट के जोखिम के खिलाफ रा.आ.बैंक के हितों की रक्षा करना आवश्यक है। अनुबंध की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक, पीबीजी को लागू करने की गारंटी दे सकता है, और यदि विक्रेता/बोलीदाता के किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप परिसमाप्त नुकसान/अर्थदंड लगाया जाता है, तो रा.आ.बैंक ऐसे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरएफपी शर्तों में गैर-प्रदर्शन या डिफ़ॉल्ट के रूप में रा.आ.बैंक का निर्णय, जिसमें लागू वैधानिक प्रावधानों आदि का गैर-अनुपालन शामिल है, अंतिम और सफल बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

7. चलनिधि क्षति (एलडी) और वितरण समय सीमा दंड

वस्तुओं को क्रय आदेश स्वीकार करने की तिथि से पहले (4 (ख) में) बताए गए स्थानों पर **21 दिनों** के भीतर वितरित किया जाना चाहिए। वितरण में देरी से अर्थदंड लगाया जा सकता है और अत्यधिक देरी से बैंक के विवेक पर आदेश रद्द हो सकता है।

यदि बोलीदाता क्रय आदेश की तिथि से 21 दिनों के भीतर उपकरण वितरित करने में विफल रहता है, तो प्रत्येक सप्ताह की देरी या उसके हिस्से के लिए आदेश मूल्य के 0.5% की चलनिधि क्षति (एलडी), आदेश मूल्य के अधिकतम 3% के अधीन, बैंक द्वारा लगाया जाएगा।

यदि देरी **छह** सप्ताह से अधिक हो जाती है, तो बैंक आदेश रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में बोलीदाता नुकसान, हानि या अन्यथा के माध्यम से बैंक से किसी भी राशि का हकदार या वसूल नहीं करेगा।

8. अन्य नियम एवं शर्तें

- बोलीदाता को निर्माता प्राधिकरण प्रपत्र (एमएएफ) **(ओईएम की मुहर और हस्ताक्षर के साथ मुद्रित संबंधित जेम बोली संख्या)** प्रदान होगा, ऐसा न करने पर बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है और आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में आगे कोई संचार नहीं किया जाएगा।
- सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए उद्धरण, अनुपालन विवरण और बाद में प्रस्तुत जानकारी के खिलाफ क्रय आदेश जारी किया जाएगा।
- बैंक, यदि वांछित हो, ओईएम के साथ उपकरण की वास्तविकता की जांच कर सकता है। किसी भी विसंगति के मामले में, बैंक के पास आदेश रद्द करने या आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है यदि वितरित की गई वस्तुएं बोलीदाता द्वारा दिए गए विवरण या हमारी जांच में पूछे गए विनिर्देशों का अनुपालन नहीं करती हैं।
- बोलीदाता विनिर्माण दोषों के खिलाफ उपकरण के नि:शुल्क प्रतिस्थापन की जिम्मेदारी लेगा।
- बैंक बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि बोलीदाता द्वारा पेश किए गए उत्पाद और बोली में बताए गए विनिर्देशों के बीच कोई विचलन देखा जाता है।
- बैंक बोलीदाता से घोषणा, उत्पाद ब्रोशर आदि जैसे सहायक दस्तावेज मांग सकता है। बोलियों के मूल्यांकन के दौरान, इसे प्रस्तुत करने में विफलता के कारण बोली रद्द हो सकती है।
- यदि वितरित की गई वस्तुएं बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत विवरण के साथ गैर-अनुपालन पाई जाती हैं, तो बैंक क्रय आदेश को रद्द करने या आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- बोलीदाता को 1 वर्ष का व्यापक ओईएम वारंटी समर्थन प्रदान करना चाहिए।
- एक बोलीदाता, इस जांच का जवाब देकर, इस जांच की शर्तों को स्वीकार करने के लिए माना जाएगा।

9. भुगतान शर्तें

नियम और भुगतान निम्नानुसार होंगे:

- सभी सहायक उपकरणों के साथ आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और परिचालन के बाद 100% सभी सहायक उपकरण सहित परिसर में स्थापित संपूर्ण डक्टिंग की रोबो वैक्यूम क्लीनिंग, साथ ही पुरानी इकाइयों का विघटन और पुनःक्रय; जेम बोली दस्तावेज़ और विनिर्देश दस्तावेज़ में बताए अनुसार सभी मलबे को हटाना, 1 वर्ष की व्यापक ओईएम वारंटी सहायता और संपूर्ण वारंटी अवधि के लिए रा.आ.बैंक को संतोषजनक प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) के रूप में बोली मूल्य का 3% जमा करना होगा। पीबीजी का प्रारूप **अनुलग्नक-VII** के रूप में संलग्न है।

10. वारंटी और सहायता

सफल बोलीदाता को 1 वर्ष का व्यापक ओईएम वारंटी सहायता प्रदान करनी होगी। अनुकूलता सुनिश्चित करना बोलीदाता की जिम्मेदारी है। बोलीदाता निर्दिष्ट वारंटी अवधि के भीतर इन वस्तुओं की खराबी के लिए जिम्मेदार होगा।

अनुबंध के तहत आपूर्ति किए गए उपकरण का निर्माण या अधिग्रहण, परिवहन, भंडारण, वितरण और स्थापना के लिए आकस्मिक नुकसान या क्षति के खिलाफ बोलीदाता द्वारा पूरी तरह से बीमा किया जाएगा। किसी भी उपकरण या सेवाओं के लिए गैर-बीमा के कारण बोलीदाता को किसी भी नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

बोलीदाता/ओईएम के पास कॉल लॉग करने के लिए 24x7x365 दिन का सहायता केंद्र होना चाहिए। सहायता केंद्र का विवरण/नंबर एस्केलेशन मैट्रिक्स के साथ प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें संपर्क व्यक्ति का नाम, नंबर और कंपनी में पदनाम का उल्लेख हो।

11. सेवा स्तर समझौता और गैर-प्रकटीकरण समझौता

सफल बोलीदाता(ओं) को बैंक के साथ सेवा स्तर समझौते (एसएलए) और गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) पर हस्ताक्षर करना होगा और उन्हें प्रदान की गई सभी जानकारी को "गोपनीय" के रूप में रखना होगा और अनुबंध की समाप्ति के बाद भी रा.आ.बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करना होगा। सफल बोलीदाता(ओं) को कार्य/क्रय आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एसएलए और एनडीए पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि कोई बोलीदाता एसएलए और एनडीए पर हस्ताक्षर करने से असहमत है, तो उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।

12. प्रति-क्रय

- बोलीदाता को **अनुलग्नक-XII** के अनुसार वर्तमान 4 एसी इकाइयों की वस्तुओं के प्रति-क्रय के लिए उद्धरण देना होगा।
- **प्रति-क्रय वस्तुओं का न्यूनतम आरक्षित मूल्य 4 इकाइयों के लिए ₹80,000/- (जीएसटी को छोड़कर) है।** बोलीदाता को **अनुलग्नक-XII** के अनुसार सभी वस्तुओं के लिए अलग-अलग न्यूनतम आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य उद्धृत करना होगा।
- सफल न्यूनतम बोलीदाता को सरकारी खरीदार/प्राप्तकर्ता को ईमेल के माध्यम से अनुबंध दिए जाने के बाद नई इकाइयों की निविदा लागत, 2(बी) में उल्लिखित एएमसी शुल्क और साथ ही विघटन और प्रति-क्रय वस्तुओं का विस्तृत विवरण प्रदान करना होगा।
- प्रति-क्रय मूल्य को वर्तमान क्रय हेतु प्रदान की गई अंतिम बोली में समायोजित किया जाना चाहिए।
- प्रति-क्रय परिसंपत्ति को ‘जहां है, वहीं’ के आधार पर विक्रेता को सौंप दिया जाएगा। संपूर्ण विघटन और संबंधित लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- बोलीदाता बोली लगाने से पहले स्थल पर जाकर प्रति-क्रय इकाइयों की स्थिति का निरीक्षण कर सकता है। बोली खुलने की तिथि से लेकर बोली प्रस्तुत करने (समाप्त) की तिथि से 1 दिन पहले तक कार्य दिवसों में निरीक्षण का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक होगा।

- प्रति-क्रय परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए बोलीदाता को अपने स्वयं के संसाधन (जनशक्ति, अवसंरचना, संभार, बढ़ईगीरी (यदि कोई हो) आदि) की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

अनुलग्नक

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी मूलपाठ मान्य होगा।

XXXXXX